Conference on Key Child Rights Issues
Punjab State Level on 04-11-2025

Chandigarh Main
Nov 05, 2025

पंजाब केसरी

हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि श्री   पर विशेष बल दिया। राज्यपाल ने कहा कि श्री   और मानवता की सेवा के मार्ग पर चलते रहे।

बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए सभी विभाग मिलकर काम करें

सरकारी अधिकारियों, शिक्षकों, बाल कल्याण समितियों के प्रतिनिधियों, स्कूल प्रबंधन समितियों ने भाग लिया

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। (कुर्ल)

चंडीगढ़, 4 नवम्बर (अर्चना): राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) ने पंजाब के स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से 'मुख्य बाल अधिकार विषय: शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और सड़क की स्थिति में बच्चे' विषय पर एक राज्य स्तरीय सम्मेलन का सफल आयोजन चंडीगढ़ में किया।

इस सम्मेलन में सरकारी अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, शिक्षकों, बाल कल्याण समितियों के प्रतिनिधियों, स्कूल प्रबंधन समितियों (एस.एम.सी.) एवं शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सम्मेलन का उद्देश्य स्कूल सुरक्षा दिशा-निर्देशों एवं उत्तरदायित्व ढांचे पर चर्चा करना, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करना तथा सड़क की स्थिति में रहने वाले बच्चों से जुड़ी समस्याओं पर समाधान तलाशना था। सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं अतिथियों के सम्मान के साथ हुआ। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक प्रदीप छाबड़ा (ए.एस.पी.डी.) ने पंजाब के 20 से अधिक जिलों के विभिन्न विभागों की उपस्थिति की सराहना की।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना वर्ष 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत की गई थी।हरकीरत कौर, निदेशक, स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा) ने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए सभी विभागों को मिलजुलकर कार्य करना होगा तथा कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर कर प्रत्येक बच्चे को न्याय, देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की परामर्शदाता ज्योति चोपड़ा ने कहा कि बताया कि 6 महीनों में एन.सी.पी.सी.आर. ने लगभग 26,000 मामलों का निपटारा किया, 2300 से अधिक बच्चों को बचाया, 1000 से अधिक बच्चों को उनके गृह जिलों के बाल गृहों में पुनर्वासित किया, तथा आयोग की प्रणालियों में उन्नत तकनीक को जोड़ा गया है। कंवरदीप सिंह, अध्यक्ष, पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एस.सी.पी.सी.आर.) ने बच्चों के अधिकार आधारित दृष्टिकोण के महत्व पर बल दिया।

दैनिक भास्कर

मोहाली भास्कर 04-11-2025

बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सम्मेलन

मोहाली| राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली एवं पंजाब सरकार के सहयोग से बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के उद्देश्य से एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें सभी जिला शिक्षा अधिकारी, सभी जिला बाल संरक्षण अधिकारी, जुवेनाइल जस्टिस पुलिस, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य, पैरेंट-टीचर एसोसिएशन के सदस्य व अन्य संबंधित अधिकारी एवं प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करना है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी प्रदीप छाबड़ा ने बताया कि इस सम्मेलन में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की ओर से कंसल्टेंट भाग लेंगी तथा पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारी इसमें सक्रिय रूप से योगदान देंगे। इसके अतिरिक्त, पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरपर्सन, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारीगण तथा पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कार्यालय के जुवेनाइल जस्टिस यूनिट के प्रतिनिधि भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे।